आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
Order and Signature of Officer

गयी तिथि
Action taken on order

2 3

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची।

(विधि शाखा)

सी०सी०ए० वाद सं०–78 / 2016–17

राज्य

–बनाम–

जुगे उर्फ जुगेश्वर सिंह

आदेश

27
25.9.18

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने अपने पत्रांक 77 / डी०सी०बी० दिनांक 16.01.2018 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी जुगे उर्फ जुगेश्वर सिंह, पे०–स्व० कालीचरण सिंह, सा०–गुन्दु दसमाईल, थाना–धुर्वा (तुपुदाना ओ०पी०) जिला–राँची के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 (अंगीकृत) धारा–3(a)(b)(i)(ii) के तहत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में (1) नामकुम थाना काण्ड सं०–01 / 2014 दिनांक 01.01.2014, धारा–120बी० भा०द०वि० एवं 25 (1–b)(a) / 26 / 35 आर्म्स एक्ट (2) धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं०–182 / 2014 दिनांक धारा–147 / 148 / 149 / 323 / 379 / 387 / 50 / 506 भा०द०वि० (3) तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं०–33 / 2016 दिनांक 21.12.2016, (4) तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं०–20 / 2016 दिनांक 26.12.2016, (5) तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं०–19 / 2016 दिनांक 31.12.2016 दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी जुगे उर्फ जुगेश्वर सिंह, पे०–स्व० कालीचरण सिंह, सा०–गुन्दु दसमाईल, थाना–धुर्वा(तुपुदाना ओ०पी०) जिला–राँची के विरूद्ध निरूद्धादेश पारित किया गया है एवं निरूद्ध किये जाने के फलस्वरूप जेल में बंद है, अतः जिला निष्कासन का प्रश्न हीं नहीं उठता है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

जिला दण्डाधिकारी
राँची।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.23 16:09:02 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d